16/2/2021

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सम्मिल पत्रावली किया जाया निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार करौली को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.03 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 77 / 2018 | आर.सी.एम.एस. 2018 / 00111 | तारीख रुजू 16.11.2018

1. मुन्नी देवी पत्नि स्व0 हेमराज सिंह आयु 50 साल
2. सागर सिंह पुत्र हेमराज सिंह आयु 32 साल
3. कुमर सिंह पुत्र हेमराज सिंह आयु 29 साल
4. अन्जनी पुत्री हेमराज सिंह आयु 24 साल
5. मंजू पुत्री हेमराज सिंह आयु 22 साल
6. कैलाशसिंह पुत्र परमसिंह आयु 42 साल
7. महेन्द्र सिंह पुत्र मखन सिंह आयु 32 साल
8. कमलेश पुत्री मखन सिंह आयु 35 साल
9. कोको पत्नि स्व0 मखनसिंह आयु 65 साल
10. भगवती पुत्री परमसिंह आयु 56 साल
11. रामरूपी पुत्री परमसिंह आयु 54 साल
12. रामदुलारी पुत्री परमसिंह आयु 32 जाति
13. सुरोज पुत्री परमसिंह आयु 50 जाति
14. उर्मिला पुत्री परमसिंह आयु 48 साल
15. शीला पुत्री परम सिंह आयु 45 साल
16. गीता पुत्री परम सिंह आयु 40 साल

जातियान गोगिया निवासी गेलागेट बाहर करौली तहसील करौली जिला करौली राज.

सायलान

**बनाम**

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली। गैरसायल

**प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट**

निर्णय दिनांक 16.02.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 कुल किता 8 कुल रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा ग्राम ससेडी तहसील करौली में स्थित है, जो प्रार्थीगण के पितामह परमसिंह के समय की पुश्तैनी खातेदारी की कब्जे काश्त की है प्रार्थीयान के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। जिसका विरासत नामान्तरण प्रार्थीगण के हक में हो चुका है जिसकी नकल जमाबन्दी 2072–75 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है एवं नकल जमाबन्दी सम्बत् 2056–59 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है जमाबन्दी सम्बत् 2060–63 तैयार करते समय [illegible] कर्मियों ने उक्त आराजीयात को प्रार्थीगण को बिना सुने नोटिस दिये देवताओं से जोत का नोट [illegible] कर दिया है जो विधि विरूद्ध है [illegible] भूमि सम्बत् 2052–55 रिकॉर्ड के विपरित है, यह भूमि कभी भी देवताओं से [illegible] में जागीर एक्ट के तहत तक नहीं रही है, जमाबन्दी संलग्न है [illegible] का अधिकारी है, प्रार्थीगण समाप्त हो चुकी है, प्रार्थीगण उक्त अवैध इन्द्राज को हटवाने का अधिकारी है, प्रार्थीगण को उक्त अवैध इन्द्राज की जानकारी जमाबन्दी सम्बत् 2072–75 लेने पर हुई तब

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.03 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अन्त में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस देकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आराजीयात का ग्राम ससेडी तहसील करौली में होना स्वीकार है। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के पितामह के खातेदारी की नहीं है बल्कि उक्त भूमि देवताओं से संबंधित जोत से है जिसका इन्द्राज रिकॉर्ड जमाबन्दी में है देवताओं से संबंधित जो खातेदारी दर्ज हुई है वह विधिवत है परमसिंह को स्वर्गवास होना लाईलमी है सम्बत् 2060–63 में विवादित भूमि देवताओं से संबंधित जोत रही है जो विधिवत है सम्बत् 2056–59 में ही यह इन्द्राज दर्ज होने आवश्यक रहे है त्रृटी सुधार लैण्ड ऑफिसर द्वारा किये जाने का अधिकार है। प्रार्थीगण उक्त राजस्व इन्द्राज को हटवाने के अधिकारी नहीं है। अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वहस वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी पैरोकार सरकार सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थीगण का वहस में कथन है कि विवादित आराजीयात ग्राम ससेडी वक्त सैटलमेन्ट सम्बत् 2015 में प्रार्थीगण के पितामह परमसिंह कि खातेदारी रही है और परमसिंह के मरने के बाद प्रार्थीगण के विरासत नामान्तरण हक में हो चुका है। सम्बत् 2056–59 तक रही है। उक्त भूमि कभी–भी किसी भी देवताओं के मंदिर की खुद काश्त भूमि नहीं रही है। ग्राम ससेडी पट्टी जागीर खुद काश्त नदारद रहा है और उक्त जागीर रिजम्सन सन् 1952 में जागीर एक्ट के तहत समाप्त हो चुकी है जिसके इन्द्राज जमाबन्दी सम्बत् 2017–20 में प्रार्थीगण के पितामह परमसिंह के हक में दर्ज हुए है। इसके बाद सम्बत् 2060–63 की जमाबन्दी तैयार करत समय राजस्व कर्मियों ने देवताओं से संबंधित जोत इन्द्राज अनाधिकृत दर्ज किया है। जिसे प्रार्थीगण हटवाने एवं अपने हक में खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराने के हकदार हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि विवादित आराजी का ग्राम ससेडी तहसील करौली में होना स्वीकार है उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के पितामह परमसिंह की खातेदारी नहीं बल्कि उक्त भूमि देवताओं से संबंधित जोत की है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में है उक्त देवताओं से संबंधित खातेदारी दर्ज हुई है वह विधिवत है परमसिंह का स्वर्गवास होना लाईलमी है सम्बत 2060–63 में विवादित भूमि देवताओं से संबंधित जोत रही है जो विधिवत है सम्बत 2056–59 में यह इन्द्राज होने आवश्यक रहे है त्रृटि सुधार लैण्ड ऑफिसर द्वारा किये जाने का अधिकार है प्रार्थीगण उक्त राजस्व इन्द्राज को हटवाने का अधिकार नही हैं अन्त में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वहस उभयपक्ष को [illegible] पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर विवेचन किया [illegible] प्रार्थीगण [illegible] कथनों के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्बत् 2019–22, सम्वत् 2023–2026 2027–2030 2031–2034 2035–2038 2039–2042 2044–2047 2048–2051 2052–2055 2056–59 2060–63 2064–67 2068–71 प्रस्तुत की है सम्वत् 2019 से 2022 में भूमि वादग्रस्त जमाबंदी के कॉलम नं. 4 में भूमि अधिकारी जागीरदार के विवरण रिजमशन एवं कॉलम नं.5 में कृषक खातेदार परमसिंह पुत्र खेमसिंह जाति मोगिया सा0 करौली के नाम दर्ज है सम्वत् 2019 से 2054

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.03 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तक भूमि वादग्रस्त परमसिंह पुत्र खेमसिंह के ही खातेदारी में दर्ज है। सम्वत् 2056 से 2059 की जमाबन्दी में खातेदार परमसिंह फौत लिखा हुआ है सम्वत् 2060 से 2063 व 2064 से 2067 में खातेदार परमसिंह के नाम खातेदारी दर्ज रही है सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी में मृतक परमसिंह का विरासत नामान्तरण सं. 548 दि. 3–3–15 को प्रार्थीयान के हक स्वीकृत हुआ है उक्त आराजी प्रार्थीगण के पितामह परमसिंह के खातेदारी व कब्जे काश्त की होना प्रकट है उक्त खातेदारी सम्बत् 2055 तक बदस्तूर रही है। जिसमें देवताओं से संबंधित जोत का इन्द्राज नहीं रहा है। प्रार्थीगण ने सम्बत् 2056–59 की जमावन्दी भी प्रस्तुत की है जिसमें उक्त आराजीयात की खातेदारी का अंकन प्रार्थीगण के पितामह परमसिंह के हक में रहे है 2056–2059 में देवताओं से संबंधित जोत का अंकन किया गया है। जिसका कोई नामान्तरण व सक्षम न्यायालय के आदेश का अंकन नही किया गया है ना ही इस बाबत् अप्रार्थी द्वारा कोई आदेश नामान्तरण पत्रावली में प्रस्तुत किया है। जिससे उक्त अंकन देवताओं से संबंधित जोत का जो दर्ज है वह सहवन भूल से ही दर्ज होना प्रकट होता है जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त कराने का हकदार है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 कुल किता 8 कुल रकबा 9 बीघा 16 विस्बा ग्राम ससेडी तहसील करौली के देवताओं से संबंधित जोत के अंकन को हटाकर प्रार्थीगण के तन्हा खातेदारी के अंकन राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें। तहसीलदार करौली को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.03 12:32:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner